2022
488

फर्द अहकाम
सरकार बनाम सांवर मल

नाम न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी चौमूं।
केस संख्याः– 192/22

2/91
136 LR Act.

कम सं0	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप में	विवि
	16.011.22	पत्रावली पेश हुई दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि वाके ग्राम सिरसा के खसरा नम्बर 477, 476, 475 में ऑन लाईन खसरा नक्शा (ऑन लाईन खसरा नक्शा संलग्न) एवं ट्रे शीट में दक्षिण दिशा में सीमा का अंकन गलत हो गया है जबकि उपरोक्त खसरा के मिलान क्षेत्रफल में सीमा का अंकन सही है। अतः श्रीमानजी से राजस्व ग्राम सीरसा के खसरा नम्बर 477, 476, 475 में मिलान क्षेत्र के अनुसार ऑन लाईन खसरा नक्शा व राजस्व गांव की ट्रे शीट में सही अंकन करवाने का श्रम करावें। पत्रावली पेश हुई दर्ज रजि0 किया गया। पत्रावली कें संबंध में पटवार हल्का नांगल गोविन्द तहसील चौमूं की रिपोर्ट प्राप्त है। पत्रावली, रिपोर्ट नांगल गोविन्द, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात वर्तमान नक्सा ट्रेस एवं नकल नक्शा असल गत सर्वे शीट तरमीमी का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल गोविन्द के खंसरा नम्बर 477, 476, 475 में वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शा असल गत सर्वे शीट तरमीमी के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyawarit Singh Charan
Date: 2023.02.13 12:17:55 IST
Reason: SelfAttested